गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग
****

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास की योजना

गृह मंत्रालय उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जो भ्रमित होकर विद्रोह के जाल में चले गए थे और बाद में उस जाल में फंस गए। यह येाजना यह भी सुनिश्चित करती है कि जिन विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है वे फिर से विद्रोह की ओर आकर्षित न हों। इस योजना को पूर्वोत्तर के छह राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोडकर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। इस नीति के तहत, आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं: -

(i) आत्मसमर्पण करने वाले को प्रत्येक विद्रोही को 4 लाख रुपये का तत्काल अनुदान, जिसे 3 साल की अवधि के लिए बैंक में आत्मसमर्पण करने वाले के नाम पर सावधि जमा के रूप में रखा जाना है। इस राशि का इस्तेमाल आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति द्वारा स्व-रोजगार के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है।

(ii) तीन साल की अवधि के लिए प्रत्येक समर्पणकर्ता को 6,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड का भुगतान ;

(iii) विद्रोहियों द्वारा सौंपे गए हथियारों/गोला-बारूद के लिए प्रोत्साहन राशि।

(iv) आत्मसमर्पण करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(v) पुनर्वास शिविरों के निर्माण के लिए निधियां।

(vi) आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर किए गए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति पूर्वोत्तर राज्यों को एसआरई योजना के तहत की जाएगी।

सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही गुटों के कई काडर आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं।

****